CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

(

È

,

THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

The Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

1

have agreed as follows :

1.1

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention' shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

- 3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :
 - (a) In India :

the income tax, including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax");

- (b) In Jordan :
 - (i) the income tax;
 - (ii) the distribution tax; and
 - (iii) the social service tax
 - (heremafter referred to as "Jordanian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in para 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

(b) the term "Jordan" means the territories of the Hashemite Kingdom of Jordan, the territorial waters of Jordan and airspace above it, and the seabed and subsoil of the territorial waters, and includes any area extending beyond the limits of the territorial waters of Jordan, and the seabed and subsoil of any such area, which has been or may hereafter be designated, under the laws of Jordan, and in accordance with international law as an area over which Jordan has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources, whether living or non-living;

(c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(c) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(g) the term "competent authority" means:

(i) in India : the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

(ii) in Jordan : the Minister of Finance or his authorised representative.

(h) the term "national" means :

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

(i) the term "fiscal year" means :

(i) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;

(ii) in the case of Jordan "the year" as defined in Article 2 of the Income Tax Law (57 of 1985).

(j) the term "tax" means Indian tax or Jordanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

(k) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the Hashemite Kingdom of Jordan as the context requires.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode:

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

- The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;

a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration, a workshop; (c) exploitation or extraction of natural resources, (f) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for a sales outlet; (g) a farm, plantation of other place where agricultural, forestry, (h)others; and plantation or related activities are carried on. A building site or construction or assembly project or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment (i)only if such site, project or activity last more than six months. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent mineral oils in that State. establishment" shall be deemed not to include: the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of (c) purchasing goods of merchandise or of collecting information, for the the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary enterprise; character;

6

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, aircraft and motor vehicles shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 4 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Artièle 7

BUSINES\$ PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3 In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the more purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

8

For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected 6. by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that conceptise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including-

the sale of tickets for such transportation on behalf of other (a) enterprises;

other activity directly connected with such transportation; and

(b)

the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly (0) connected with such transportation.

Profits of an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or codesharing, or an international operating agency.

For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships between the ports of the other Contracting State and the ports of third countries may be taxed in that other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

а

However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by

mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and

the Government, a political subdivision or a local authority of the other beneficially owned by:

(i)

the Central Bank of the other Contracting State; or any other bank or Contracting State; or governmental financial institutions/agencies that may be mutually agreed upon

between the two Contracting States. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment

shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of

the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case

the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent

establishment or fixed base is situated. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes or any other means of reproduction for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5 Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether ne is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is sinuated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Årticle 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

ł

14

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident, provided that such resident is subject to tax thereon in that State. If the resident is not subject to tax thereon, then such gains may be taxed in the other Contracting State?

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year the equivalent of US \$ 2000.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 37

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportsmen if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a *Contracting* State or a political sub-division or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local autionity thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Arriele 20

STUDENTS AND APPRENTICES

t = -X student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State minimulately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on

(a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training, and

(b) remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding US\$ 500 or its equivalent amount during any fiscal year,

as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance

2 The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customaniy required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1 A professor or teacher who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any temmeration for such teaching or research for a period not exceeding one year from the date of his arrival in that other State

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3 For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

4 For the purposes of paragraph 1 "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State

Article 22

OTHER INCOME

1 Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lottenes, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1 The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention

2 In the case of India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Jordan. India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Jordan whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Jordan.

3. In the case of Jordan, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Jordan derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Jordan shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development

5 Income which in accordance with the provisions of this Convention, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State

Article 24

NON-DISCRIMINATION

L. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more bordensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2 The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from granting to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3 Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 apply to taxes of every kind and description which are the subject of this Convention.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1 Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2 The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3 The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Arucle 20

EXCHANGE OF INFORMATION

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thercunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of traud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic lasss of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the intoraction of the such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions

In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on ٦.

a Contracting State the obligation

to carry out administrative measures at variance with the laws and (a)

administrative practice of that or of the other Contracting State;

to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State,

to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, (c)the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

COLLECTION ASSISTANCE

The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interest, costs, and eivil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim"

Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, inder the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3 Amounts collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent motoally agreed between the competent authorities of the two States

4 Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1 The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this Convention

2 This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force; and

(b) In Jordan, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in India, in respect of member arising in any previous year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given,

(b) in Jordan, in respect of income arising in any previous year on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this twentieth day of April 1999 in Arabic, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF ILASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

PROTOCOL

In the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of India and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income-the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the said Convention.

Viticle 9 - Associated Enterprises

With reference to paragraph 2 of Article 9, it is understood that the provisions shall not apply in the case of fraud or wilful default.

Article 17 - Artists and Sportsmen

With reference to paragraph 3 of Article 17, it is understood that the covisions shall apply in respect of income derived by an artiste from the activities performed in the other Contracting State under the cultural agreements concluded between the Governments of the Contracting States.

Article 24 - Non Discrimination

3. With reference to paragraph 3 of Article 24, it is understood that this provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the provision of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has a the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profiles of a similar company of the first-mentioned Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this twentieth day of April 1999 in Arabic, Hindi and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

(RAVI KANT)

(HISHAM MUHAISEN)

Notification No.&Date: (((6) df 8-12-7) F.No. 501/4/89-FTD

(VIJAY MATHUR) JOINT SECRETARY TO THE GOVT.OF INDIA भारत के राजपत्र [अताधारण] के भाग 11, कंड-3, उपके 11 में पुकाशनार्थ

भारत तरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली, दिनांक २०(२-२५ अधितूयना । आयकर।

अत: अब आयकर अधिनियम 1961 1961 का 43 की धारा 90 दारा पुदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्दारा निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जरणगा 1

उपार्वध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

. और

🕤 राजस्व अभवंचन को सेकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

🐘 जॉर्डन की हेशीमट किंगडम की सरकार

के वीच अभिसमय

धारत गणसन्य की सरकार और जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार,

आय पर करों के संबंध में टोहरे कमामन के एंग्डार सेर राजरण अपवेचने को रोकने के लिप तथा दोनों देशों के बीच आर्थक सहयोग के संवर्धन की ट्रॉप्ट से एक अभिसमय निष्कृत करने की इटाज से,

नोंचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :-

- 1 -अनुच्छेद - 1 वैयक्तिक सेत्र

. यह आभरमाय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो सीवदाकारी राज्यों में से किसी एक अधवा डोनों के निवासी हैं ।

.

.

.

.

अनुतकेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

यह अभिसमय किसी सॉवदाकारी राज्य अवचा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय 1. प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं । सकल आय पर अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के 2 • रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलामों पर लगने वाले करों, उसमों दास अदा किए गए देतनों तथा मजद्रांखों की सकल रकम पर लगने वाले करों की राशि

भी शामिल है।

3. जिन अर्गमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं : १क१

भारत में :

आयकर और उस पर लगने वाला कोई आधमार;

हे जिसे इसके बाद 'भारतीय कर'' कहा जाएगाहे ;

8478 जॉर्डन में :

4 •

818 आय कर ;

8118 वितरण कर ; तथा

हां। हे समाज सेवा कर ;

१जिसे इसके बाद जॉडीनयन कर" कहा जाएगा १ ।

यह अभिसमय किसी भी समरूप अधवा पर्याप्त रूप से समस्त करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर इस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद पेराग्राफ 3 में उत्तिलीवत विद्यमान करों के अतिरिक्त अधवा उनके स्थान पर लगाएं जाएंगे । सोंवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराणन करनूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

- 3 -अनुव्छेद - 3 सामान्य पोरमापापं

३स अंभसमय के प्रयोजनार्ध, जब तक के संदर्भ में अन्यधा अपेक्षत न हो : ३ जई "भारत" पद से अंभग्रेन हे - भारत का राज्य क्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय मग्द तथा इसके उत्पर के वायुमंडलीय क्षेत्र और अन्य कोई भी समुद्रीय क्षेत्र सॉम्मॉलत हैं भिननमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभ्रसमय सोइन भारतीय कानून के अनुसार और जंनरसब्झय कानून क अनुसार भारत के प्रमुसत्ता सम्पन्न औयकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधकार है :

१५११ "जॉर्डन" पद से अंभग्रेन हे - जॉर्डन की हेशोमट किंगडम का राज्य क्षेत्र, जॉर्डन का राज्य क्षेत्रीय जल और इसके उत्पर के वायुमंडलीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्रीय जल का समुद्र तल और अवमृदा और इसमें जॉर्डन के राज्य क्षेत्रीय जल मीमाओं से परे फैला कोई क्षेत्र और रेसे किसी क्षेत्र का समुद्रतल और अवमृदा शांमल है जिसे जॉर्डन के कानृनों के तहत और अन्तरराष्ट्रीय कानून के तहत एक रेसे क्षेत्र के रूप में नामोरिषट किया गया ही अयवा बाद में नागोरिक्ट किया जाए जिसके तहत जॉर्डन प्रकृतक संसधानों चाहे वे जीविन और गेर-जीवित हो, की पोज और दोहन के प्रयोजनों हेनु प्रमुसत्ता सम्पन्न अंधकार का प्रयोग कर सके ; श्रेग अन्य सत्ता शांमल है जिसे संबंधत संावदाकारी राज्य में प्रकृत कराधान कानूनों के तहत एक कराप्रेय इकाई माना जाता है ;

३ घाई "कम्पना" पद से कोई ऐसगा निर्मामत निकास अखना कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेन है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निर्मामत निकास के रूप में माना जाता है ;

१ड•३ "'फ़ सींधदाकारी राज्य का उराम" जोर "दूसरे सींबदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से कमशः एक सींघटाकारी राज्य के किसी निवासी द्वरा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे सेंघिदाकारी राज्य के रेकमी निवासी धरा संचालित कोई उद्यम ओग्रोन है ;

१च । "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेन है - दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उत्तम दारा परिचालित कोई जलयान अधवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया

नाता हो 🤅

1 .

"सक्षम प्राधकारी" पद से आंसप्रेन हे : 8 **5**5 S

> भारत में, केन्द्रीय सरकार का बित्त मंत्रालय १राजस्व विभाग१ अथवा 818 उनका प्राधकृत प्रांतांनधि ;

8118 जॉर्डन में, विन्त मंत्री अयवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

"राष्ट्रिक" पर से अभग्रेन हे : ई ज हे

> फंक सांबदानांश राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ; 818

कोई कानूना व्यांक्न, भागीवारी अयवा संस्था जिसे अपनी हैसियत किसी 8118 संगिदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ;

र्श्त हे "विल्तीय वर्ष" पद से अभग्रेत हे :

8 6 8

2 -

- भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 818 की धारा 3 के अंतर्गत पांरमापित किया गया हो ;
 - जॉर्डन के मामले में, "वर्ष" जैसा कि आयकर लियम §1985 का 578 8118 के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत परिमाषित किया गया हो ;

"कर" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अधवा जॉडीनयन कर अमिप्रेन है, <u>१</u>न १ परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उक्त करों के संबंध में किसी भूल अधवा चुक के संदर्भ में देय हो जिस पर यह अभिसमय लागू होता हो अधवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अधीवंड की घोतक हो ;

"क संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदी से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार गणराज्य अथवा जॉर्डन का हेशांमट किंगडम अभिग्रेत है ।

जहां तक किसी संविदाकारी राज्य दारा इस अभिसमय के प्रकर्तन का संबंध है, किसी पद का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यधा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबोधत कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू

- 4 -

निवसी 1. सा अंभसमय के प्रयोगनार्थ, "एक सींबदाकारी गांच का निवासी" पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अंभग्रेन है, जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गन उसके अंधयास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी अंभग्र की फिस्म अन्य कसौर्थ के कारण यहां पर कर लगाया जा सकता है । परन्तु इस पद में कोई एका व्योफ़्त शोमल नहीं होगा जिस पर उस राज्य में हैरान स्रोतों से प्राप्त आय के यारे में ही कर तयाध्या जा सबता है । 2. तहीं पिसयाफ 1 के उपवंधों के कारण, कोई व्याह्य टोनों सींबदाकारी राज्यों का निवासी हो, उस उस होस्परत निमनासाधत के अनुसार तय का जाला : ईकह उसे उस राज्य का निवासी माना जालगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यांद उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी विवास-गृह उपलब्ध हो, नो यह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यानगत और आंधिक संबंध १महत्वपूर्ण हितों का केन्दह यांनघ्टतर हैं ; हेस§ यांद उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अधवा यांद उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कीई स्थायी निवास-गृह

उपसण्ध नहीं हो, तो यह उस राज्य का निवासों माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो? (18) योव यह आदतन दोनों ही मर्ज्यों में रहता हो अवया उनमें से किसी भी मज्य में नहीं रहता हो, तो यह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका यह एक सॉफ्ट्रक है ; नहीं रहता हो, तो यह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका यह एक सॉफ्ट्रक है ; अध? यांव यह दोनों राज्यों का सॉफ्ट्रक है अधवा उनमें से किसी भी राज्य का सॉफ्ट्रिक अध? यांव यह दोनों राज्यों का सॉफ्ट्रक है अधवा उनमें से किसी भी राज्य का सॉफ्ट्रिक नहीं है, तो सींबदाकारी राज्यों के सक्षम प्रायकारी परस्परिक सहमति दरा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे। जहां व्यॉफ्ट से भिन्न कोई व्यक्ति पेरागाम 1 के उपवंधों के लागा दोनों संविदाकारी राज्यों का

3. जहां व्योष्ट से मनन काइ ज्याका उपता जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है निवासी हो, तो वह उस राज्य का जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-ध्यान म्थित है, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, यांव उस राज्य का, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-ध्यान म्थित है, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो संधिदानगरी राज्यों के सक्षम प्रधानकांत पारस्पारक सहमांत वसा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

- 6 -अनुरावेद - 5 स्यायी संस्थापन इस अंभसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोवार का वह निश्चित स्थान अभिफ्रेत के, जिस्क्रेंद्विरा किसी उराम का कारोवार सम्पूर्णतः अधवा अंशतः चलाया जाता है । "स्यायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हे : प्रवंध का कोई स्थान ; १ कर कोई शासा ; 8 হা ৪ कोई कार्यालय : <u>π</u> कोई कारमाना । क्षेत्र के कोई कार्यशाला । ;ड } कोई खान, तेल अग्रया गेम का कोई कुऔ, कोई खदान अग्रया प्रकृतिक संसाधनों के গ না গ अन्वेषण उपयोग अधवा निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; कोई धिकी वाजार ; 8 75 8 किसी व्योक्त से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुक्तिपाएं मुहैया 8ज8 करता हो; और कोई फार्म, वागवानी अववा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, वागवानी अधवा इससे 8758 संजीवत कार्यकलाप किए जाते को । कोई भवन-स्वल अधवा निर्माण कार्य अववा संयोजन परियोजना अधवा प्रतिष्ठापन परियोजना जगवा उससे संबंधित पर्यवेशी कार्यकलार्जे को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाण्गा यांद ऐसा स्थल, भुरयोजना अधवा कार्यकलाप छह महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों । किसी उत्तम का सीवदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार का चलाया जाना तभी माना जाएगा यांद वह इस संबंध में सेवाएं अधवा सुविधाएं प्रधान करता है अगवा उस सच्य में सोनज तेलों के निष्कर्षण अधवा उपयोग अधवा उपयोग के पूर्वक्षण के भिष विसार पर प्रयोग होने वाले अथवा प्रयोग केए जाने के लिए संयंत्र और मशानरी सप्ताई करता है । इस अनुरोवेद के पूर्ववर्ती उपर्वधों के होते हुए भा, "स्थाया संस्थापन" पद में निम्नोलीखत को शामिल नहीं समझा जाएगा ः उस उराम से संबंधत माल अशवा पग्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अग्रवा -क्षे यन के ्रोडलीवरों के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

1 -

2 •

सि: मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अवया डिलावरी के प्रयोजनार्य उक्तम से संवीधत माल अधवा भण्य-यस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाय करना ;

हंगई करती अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित केप जाने के प्रयोजनार्ध उद्यम के माल अधना पण्य-यत्नजों के स्टॉक का रत-रसाव करना ;

हेश हैं उन्हें उसने के लिए कारोबार के किसी निश्चित खान का रख-रखाब करना ; सूचना एकब करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित खान का रख-रखाब करना ; हेडे : 3 गम के लिए प्रारम्भक अवना सहायक रूजमप के किसी अन्य कार्यकलाम को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाब करना ;

१२३ केवल उप-पेराग्राफ १कः से इंड हे तक में उझ्लापत कन्ही कार्यकलापें के संयोजन के लिए व्ययसाय के किसा निश्चित स्थान का रख-रखाब करना, वशर्ते कि इस संयोजन के परिणाभ स्वरूप कारोवार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

• पैराग्राफ 1 और 2 के उपवंधों के होते हुए भा, जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी स्वतंत्र भिवत बाले फॉट से भन्न हो, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता है और वह किसी उग्रम की और से 14 करता है। और जिसे किसी संधवाकार पत्य में उक्त उग्रम के नाम पर संधिवराएं संपन्न करने का का तर प्राप्त हो और वह उस प्राधकार का आम तौर पर प्रयोग भी करता हो तो उस राज्य में उक्त गम के लिए ऐसे व्यक्ति दास किए गए किन्हों भी कार्यकलापों के बारे में उस उग्रम का कोई स्थायी दिवागन का होना तभी माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्त के कार्यकलाप पैस 5 में उहिलीसत (में रुवागन का होना तभी माना जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्त के कार्यकलाप पैस 5 में उहिलीसत (में रुवागों तक हो सीमित न हों, जिनका याद किसी जिसि वह कारोबार के स्थान से प्रयोग किया जाए) का बात में ही उन्हा पैस के उपवंधों के अर्थन यह कारोबार का नियत स्थान एक स्थायी संस्थापन दी बन आएगा ।

• इस अनुन्छेद के पूर्ववर्ती उपवंधों के होते हुए भा, एक संावदाकारी राज्य के किसी बीमा उग्रम + पुनः वामा करने के मामले को छोड्कर, दूसरे संावदाकांग राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना 1) माना आपमा याद यह उस दूसर बन्ध के क्षेत्र में आमयम परुत्र करता है अववा रक्तंत्र हैमियत 13 मिना आपमा याद यह उस दूसर बन्ध के क्षेत्र में आमयम परुत्र करता है अववा रक्तंत्र हैमियत 14 मिना आपमा याद यह उस दूसर बन्ध के क्षेत्र में आमयम परुत्र करता है अववा रक्तंत्र हैमियत 14 मिना आपमा याद यह उस दूसर बन्ध के क्षेत्र में आमयम परुत्र करता है अववा रक्तंत्र हैमियत 14 किसी प्रतिर, जिस पर पैराग्राफ 8 लागू होता हो, से अन्त केसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां यत जीएमों के लिए वीमा करता है ।

- 7 -

कर्मा उत्तम का किसी संख्याकार राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहां माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन प्रजेंट अथवा स्वतंत्र हैएए वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य मंग से कर रहे हों, तथांप, जब ऐसे किसी प्रजेंट के कार्यकलाप प्रगतिः अखवा लगमग प्रगतः उस उग्रम का ओर से किए जाते हों तो उसे उस स्वित्त में इस पैराग्राफ के अभिग्राय के अंतर्गत स्वतंत्र है।सयत का प्रजेंट नहीं समझा जाप्गा ।

मोद कोई कम्पनी जो एक सॉवदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियांत्रित करता है अधवा उससे नियोत्रत होती है जो दूसरे संगवदाकारी राज्य की नियासी है अधया जो उस दूसरे राज्य ईचाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अधवा अन्यधाई में कारोबार करती है तो मात्र इस न तथ्य में ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना नापना । - ७ -जनुच्छेद - 6 अचल सम्पर्फ्ति से आय

धाः संगवदानगरं। गान्य के करता नियासी द्वरा दुसरे सीवदाकारी राज्य में रिवत अचल सम्पति ्रातमर्म कृष्य जयया व्यानका से प्रगत आय भा शामल हैं। से प्राप्त आय पर उम दूसरे राज्य में कर ۱. "अचल सम्पाल्त" पद का अर्थ वहा होगा जो उस संबदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत तमामा जा संदेमा । उसमा अर्थ हे जिसमें संयोधत सम्पोल्त ास्थत है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे -9.4 अवल सम्पोत्त के अवसाधन के रूप में सम्पान्त, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त मंगुधन और उपस्कर, रिसे uluकार जिन पर मू-सम्पाल्त संबंधी सामान्य कानून के उपवंध लागू होते हों, अचल सम्परित को भोगने के अधकार और गोनज भण्डार, स्रोतों तथा अन्य प्रकृतक संसाधनों के दोहन के लिए अधवा दोहन के आवकार के प्रसफल के रूप में परिवर्तनीय अवया नियंत अदायांगयों के अधिकार, जलयान, नौकार, अधुयान तथा मोटर बाहन अबल सम्पोल के रूप में नहीं माने जायेंगे । पेसग्राफ 1 के उपत्रंध, अचल सम्पोल के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अखवा किसी 3. अन्य अकार के उपयोग से प्राप्त होने याली आय पर लागु होंगे । भूसगाफ । और 3 के उपत्रंध करसी उद्यम की अचल सम्पर्कत से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्याक्तगत सेवाओं के निष्णादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पहत से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे ।
- 1॥ -अनुच्छेद - 7

कारोबार से लहा

1. एक संधवाकाश राज्य के किसा उसम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएसा जब आयों कि यह उसम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो । यह कोई उसम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उसम के लाभों पर दूसरे संधिदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर

नगमा तो कि अन्यत रूप से जयना पतेत रूप से उस स्याया संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों । 2. पेसग्राफ 3 के उँपवंधों के अधान रहते हुए, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संगिदाकारी राज्य में यहां स्थित किसी स्थापी संस्थापन के माध्यम से कारोवार करता हो, वहां प्रत्येक संगिदाकारी राज्य में, ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाम हुए माने जाएंगे, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती पार्रास्थानयों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्य-क्लाभों में लगा हुआ कोई निश्चित और मिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णत: स्वतंत्र रूप से कारोधार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन हे ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लामों का निर्धारण करने में, उन सर्चो की कटौती की अनुमति दी जाएगा जो स्थाया संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ सर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार सर्च किए गए कार्यकांग तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही ये उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा उस राज्य के कराधान कानूनों की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों।

4. कोई लाम केवल इस कारण स्यायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा फ्य-वस्तुओं की खरीद की गई है।

9. पूर्वको पिराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लामों को तब तक वर्षानुवर्ध उसी पढांत से निर्धारत किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याग्त कारण नहीं हो ।

6. जहां आय की मदों में लामों की वे मर्दे शांमल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुद्धेदों में विवेधन किया गया है, वहां उन अनुद्धेदों के उपवंध इस अनुद्धेद के उपवंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वयु-परिवहन

भ संभवतमर्थ राज्य के किसी उद्यम बरा अन्तरराष्ट्रीय यातायान में जलयानों अधवा वायुयानों
के प्रचालन से प्रण्त लांगों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
इस अनुव्हेंद के प्रयोगनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन से
इस अनुव्हेंद के प्रयोगनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन से
इस अनुव्हेंद के प्रयोगनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन से
प्रथत लागों का अर्थ है - पैराग्राप 1 में उद्यलायत किसी उद्यम बरा जल अधवा वायु परिवहन बरा
रवताः योधवर्या, डाक, पशुधन अधवा माणिक अथवा पहुटेधारियों अधवा जलयानों या वायुयानों के चार्टरों
तम ताए मर महा सोहत -

- १ महे दूसरे उत्तम का ओर से ऐसे पारवहन हेतु ाटकरों की विकी ह
- ं तई ऐसे पारवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबोधन अन्य कार्यकलाम ; और
- १गः ऐसे पारवहन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधन किसी कार्यकलाप से जुड़े हुए जलयान अधवा

वायुयान को किराए पर देना ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन में प्रयुक्त आधानों §ट्रेलरों, अनेस तोर आधानों के परिवहन से संबंधात उपकरणों सांहत के प्रयोग, रख-रखाव अधवा उन्हें किराप पर देने से पैसगाफ 1 में उल्लोधत एक संविदाकारों राज्य के किसी उद्यम को प्राप्त लामों पर केवल उसा राज्य में कर लगाया जाएगा ।

4- पैराग्राफ 1 और 3 के उपरंध किसी पून, किसी संयुक्त व्यवसाय या संकेतों का आदान-प्रदान करने था 16था अन्तरराष्ट्रीय पारवहन धर्नेसा में भाग लेने से प्रप्त लाभों पर भी लागू होंगे । 5- इस अनुद्धेद के प्रयोजनार्थ, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के प्रचालन से मंगोधत निधायों पर व्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्रप्त लाभ के रूप में माना

भएगा और अनुस्केंद 11 ईब्याजई के उपदंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 6- फिसी उसम के स्वामत्व और प्रचालन वाले जलयानों, वायुयानों अधवा आधानों के अंतरण से पेतन्नाप 1 में अभ्यापत एक सोवदाकाश राज्य के करना उसम दूस प्राप्त लाम, जिससे प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, केवल उसी राज्य में करापेय होंगे ।

तनक उस अनुतरेव के पूर्ववर्ती उपवंधों के होने हुए भी एक सौंबदाकारी राज्य के किसी उद्यम दास 7. आ अनुतरेव के पूर्ववर्ती उपवंधों के होने हुए भी एक सौंबदाकारी राज्य के किसी उद्यम दास दुसरे सीच अन्तरें राज्य ने से तोगरे देशों के फतनों के बीच जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय पर केवल उसी सीवदाकारी राज्य में कर लगेगा किंतु उस दूसरे राज्य में लगाया गया कर उसके 50? के बराब का रक्तम तक कम कर दिया जापगा । - 12 -अभुत्केद - 9 संबद उद्यम

। जहां :

१९७६ एक सीयदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सीयदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अधवा पूंती में प्रत्यक्षतः अधवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अधवा हे गई वही व्यक्ति, एक सीयदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे सीयदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अधवा पूंती में प्रत्यक्षतः आयवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हे ;

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उग्रमों के बीच उनके वाणिज्यिक अधवा वित्तीय संबंधों में ^(a) शर्त रही। अवथा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उग्रमों के बीच रखी जाती हें, यहां देखा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उग्रमों में से किसी एक उग्रम को प्राप्त हुआ होता किंतु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्रप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उग्रम के नहों में शांमल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक सीवदांकारी राज्य उस राज्य के किसी उग्रम के लामों में उन लामों को सांम्मालत के और सदनुरगर कर लगाता है जिन पर दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी उग्रम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सांम्मालत किए गए लाम ऐसे लाम हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उग्रम को उस स्थित में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उग्रमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होती जो स्वतंत्र उग्रमों के बीच लगाई गई होतो, तब दूसरा राज्य उन लामों पर वहां प्रभारित कर की सोश के वरावर समुधित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस ओमसमय के अन्य उपवंधों को यधोधित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो गंधवाकांश रज्यों के सक्षम प्राधकांसे एक-दूसरे के साध परामर्श करेंगे । - 13 -अनुतजेद - 10

लमांश

1. एक सोवदाकारी राज्य की निवासी करम कम्पनी दारा दूसरे सीवदाकारी सज्य के किसी निवासी की अदा किए लोभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सक्ता है । 2. तथाए, ऐसे लोभांशों पर उस संवदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार उस तगाय। जा सकेगा, जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्रांतकर्ता लाभांशों का फिलभागा स्थामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांश की सकल राशि के 10 प्रांतशत से बोधक नहीं होगा । यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान का प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किए जाने हैं ।

3. रस अनुरावेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांग्र" शब्द का अर्थ शेयरों अधवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभों में भागीदारी के जण-दावे नहीं हों तथा अन्य ऐसे निर्मामत अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वहा कमधान व्यवस्था लागू होती हे जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों

मे आगत आय के मामले में लागू होता है जिसकी किंतरण करने वाली कम्पनी निवासी है । 4. पेसग्राफ । और 2 के उपरंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे, यांट लाभांशों का हितमागी रचार्यों जो एक सींधदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सींधदाकारी राज्य में वहां स्थित एक रचाया संस्थापन के माध्यम से कारोवार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयोक्तक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणांधकार के आंग्रे में लागांशों की अदाज से स्वतंत्र वैयोक्तक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणांधकार के आंग्रे में लागांशों की अदाज है । ये जानी है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन बावया निश्चित स्थान से प्रमार्थ में सम्बद्ध है । येयां स्थित में अनुराहेद 7 या अनुराहेद 14 के उपरांध, जैसा भा मामला हो, लागू होंगे ।

9. तहां तोई कम्पना, तो एक संभिदाकांश सम्य की नियायों है, दुसरे सींयदाकांश राज्य में लाग अवना आय प्राप्त करती है, बहां दुसरा राज्य कम्पनी द्वरा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगापमा सिवाय इसके घर तो लाभांश उस दुसरे राज्य ये नियासी को अदा किया जाता हो जनत नहीं तक कि किस भारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायमा की जाती है, यह उस दूसरे किय में स्थित किसी स्थापी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधत है और न ही कम्पनी के अप्तिस्ति लाभों पर कम्पनी के ऑक्नॉरत लाभ पर कर लगाया जाएगा, मले ही अदा किप गए लागांश अग्रवा ओक्नीरत लाभ उस दुसरे राज्य में पूर्णतः अववा अंशतः उद्भुत होने वाले लाम अथवा वास के रूप में हो । ब्याज

ा - - - अ संविदाकारी राज्य में उत्पत्तन होने वाने तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को जबा किए आने वावे ज्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अभीष, उस प्रकार के ज्याज पर उस संावदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अभि कर लगाया जायगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है, परन्तु यांद प्राप्तकर्ता ब्याज का गठामांगा रवामा है तो इस प्रकार लगाया गया कर ज्याज की सकल रकम के 10 प्रांतशत से अधिक नहीं होगा । सीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्रांधकारी परस्पर वातचीत के व्ररा इस सीमा को लागू करने के , तराके पर सहमत होंगे ।

ं ैंखग़ाफ 2 के उपवंधों के होते हुए भी, एक सॅविदाकारी राज्य में उद्मृत होने वाले ब्याज पर 38 सन्य में कर से छूट होगी वशर्ते कि वह तिम्त्रोलीयत द्वरा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से अपने स्वामत्व में रखा जाता हो :

- होहे दूसरे सीवयाकारा राज्य के सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-भगम अथवा कोई स्थानीय प्राधकरण ; अधवा
- १ 118 दूसरे संखदाकांश राज्य का से-टूल देंकः अयवा कोई अन्य देंक अथवा सरकांश वित्तीय संस्थान/प्लेंसी जिस पर दोनों संखदाकारी राज्यों के बीच परस्पर सहमति हो गई हो । इस अनुरहोद में यथा-प्रयुक्त "ब्यात" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के झण संबंधी दावों में प्राप्त आय, चाहे वे बंधक बरा प्रतिभूत हों अयवा नहीं हो और चाहे उन्हें झण-दाता के लाभों में भागोदारी का कोई आधकार प्राप्त हो अधवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आप और बंधपत्रों अधवार प्राप्त हो अधवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अधवा झण पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा झणपत्रों से संबंधित ग्रिंमयम और पुरस्कार शामिल हैं । विलम्ब अदायगी के लिए जुर्मानों को इस अनुरहोद के प्रयंत्रन के लिए ब्यान के रूप में नहीं माना जापगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी किसी 'सोबवाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सींबदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ को, यहां रिधत फेसे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे सींपदाकारी सज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयोक्तक सेवाएं निष्पादित करता हो और इजस रुण दावे के वारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित रधान से प्रमाधा रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुन्छेद 7 अयवा 14 के उपवंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

ब्यान किसी सीवदाकारी राज्य में उद्भुत हुआ तभी माना जापगा, जब ब्याज देने वाला स्वयं h. यह सत्य, उस राज्य का कोई राजनीतक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अयवा कोई निवासी हो । तथांग, जहां ध्यान अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सॉयदाकारी राज्य का निवासी हो अधवा नहीं हो, किसी सीवदाकारी राज्य में एक स्यायी संस्थापन अधवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में यह राण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थाया संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वरा वहन किया जाता है तो इस फ्रार का ब्याज उस राज्य में 3 वृभूल हुआ माना जापमा जिसमें यह स्थाया संस्थापन अववा निश्चित स्थान स्थित है । जहां, ज्यान अवाकर्ता तथा फिलभागी रचामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति 7 • के बाब एक विशेष संबंध होने के कारण अदा का गई ब्यान का रकम उस ऋष दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम जदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐस्म विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकतों और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, यहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल ओतम उन्तिसित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इर अभिसमय के अन्य उपवंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सीवदाकति राज्य के कानृनों के अन्सार कर लगाया जाएगा ।

. .

- 10 -

अनुद्धेद - 12

रायो टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

। पिंग संधियाकांश राज्य में उद्भुत होने वाली और दूसरे सॉवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अद्भुत्री गई सम्प्रस्टमों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा

सकगा। 2. तथांग, इस प्रकार की सर्याल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सौंबदाकारी राज्य में भा जिसमें वे उद्भुत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किंतु यदि प्रानयर्ता रायाल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया प्राया कर रायाल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का सिकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं गया कर रायाल्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं

होगा। 3. हेकडे. उस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'रायहटयों'' पद से निम्नर्सिकित अभिप्रेत है -सन्तेमा फिल्में और फिल्मों अववा टेपें अववा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रयोग के लिए फिसो भो पुनीनमणि माध्यम सांहत किसी सांहित्यिक, कलात्मक उद्यवा वैज्ञानिक कृति के किसी भो पुनीनमणि माध्यम सांहत किसी सांहित्यिक, कलात्मक उद्यवा वैज्ञानिक कृति के काधराइट, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्ड, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला या प्रोक्रया के प्रापेग हेनु अथवा प्रयोगाध्यकार हेतु अववा कोई और्याांगक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग हेनु अथवा प्रयोगाध्यकार हेतु अववा कोई और्याांगक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक उपकरण प्रापेग हेनु अथवा प्रयोगाध्यकार हेतु अववा कोई और्याांगक, याणिन्यिक या वैज्ञानिक उपकरण प्राप्त किसी भी प्रकार की अदार्यांगयां ;

१ सर्श ''तकनीकी सेवाओं के लिए फीस'' पद से अभ्रप्रेत है -प्रयंधकीय, तकनीकी अधवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदार्यागयां जिसमें तकनीकी अधवा अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्राक्यान भी साम्मीलत है किंतु इसमें इस अभ्रसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उहिलोखन सेवाओं के

लिए की गई अदायोगयां सम्मालत नहीं है । 4. पिसमाप 1 और 2 के उपग्रंध उस रियोन में लागू नहीं होंगे यदि रायाइटयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितमागी स्वामों जो एक सीवदाकारी राज्य का निवासी है दूसरे सीवदाकारी राज्य, जिसमें रायाइटयां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी राज्य, जिसमें रायाइटयां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी राज्य, जिसमें रायाइटयां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी राज्य, जिसमें रायाइटयां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी राज्य, जिसमें रायाइटयां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी राज्य में वहां पर स्थित रागभटयां और तकनोका सेवाओं के लिए फीस अना की जाती है, ऐसे स्यायी संख्यापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभाव रूप से संबोधत हैं । ऐसे मामले में अनुस्तेद 7 अधवा अनुस्त्रेद 14 के उपवंध, जैसा भा मामला हो, लागू होंगे ।

5. एक सोंधदाकारी राज्य में संयोहटयों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी आएगे, जब अदा करने वाला स्वयं यह राज्य, स्वका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि जहां सयहेटयों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी मैंबिदकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संधिदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायों संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायहिट्यां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिन्मेदारी निमाई गई हो और ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिन्मेदारी निमाई गई हो और ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिन्मेदारी निमाई हो और ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिन्मेदारी निमाई हो और ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापक अथवा निश्चित स्थान दरा बहन की जाती हो, तब रेला रायहट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान रियत है ।

७० जहां, अदाकर्ता और हितमागी स्वमी के वीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अखवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायायल्टर्यों अधया तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंध की अनुपरियांत में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमांत हो गई होती, वहां उस रक्ष संबंध की अनुपरियांत में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमांत हो गई होती, वहां उस अनुच्छेद के उपबंध केवल जीतम वॉर्णत रकम पर ही लाग होंगे । ऐसे मामलों में अदा की गई रक्ष के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सीवदाकारी रक्ष्य के अनुमार कर लगाया जाण्या ।

17 -

पुंशीगत अभवम

ा एक सोधदाकांग राज्य के किसी निवासी दारा अनुरहेद 6 में उल्लिखित और दूसरे सींवदाकारी सन्दर्भ गिरधत अचल सम्पन्ति के अंतरण से प्राप्त अभलाओं पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा संकेगा ।

2. ऐसा चल सम्पोल के अंतरण से होने आले आंभलामों पर, जो एक सॉझ्टवकारी राज्य के किसी 3.44 के दूसरे सोधवाकारी राज्य में रिवत किसा स्वायी संस्थापन की कारवार सम्पोल का एक हिस्सा है अधवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पोल के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर जो सम्पोल एक सोधवाकारी राज्य के किसी नियासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयवितक सेवाओं के प्रयोजनाई उपलब्ध है, जिसमें किसी नियासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयवितक सेवाओं के प्रयोजनाई उपलब्ध है, जिसमें किसी स्थि स्थायी संस्थापन ईअकेले अधवा पूर्ण उद्यम के साथ आधवा ऐसे किसी किसी के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लग सर्वेगा।

55 फ़ सॉबवाकारी राज्य के किसी उद्यम दारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने बाले जलयानों अभवा वाय्य्यानों अभवा इस प्रकार के जलयानों अधवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्द्रण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संबिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसा रेखा कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त ऑमलामों पर, जिसकी सम्पोल्त प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी सींवदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उत्तिसित सम्पति से भिन्न किसी भी सम्पति के अंतरण से प्राप्त अभिलाओं पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासा है बशर्ते कि ऐसे निवासी पर उस राज्य में कर लगता हो । यदि निवासी पर वहां पर कर नहीं लगता हो तो ऐसे अभिलाओं पर दूसरे संवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुत्केद - 14

- 19 -

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाप

1. एक सांबदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा व्यावसायिक सेवाओं अधवा स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्यकलापों से आप्त आय, निम्नोलसित पोर्सस्थोतयों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संस्तिकारी राज्य में भी कर लगाया जा रागला हो, केपल उसा सींबदाकारी राज्य में फरागेय होगी :...

- ३७३ याव उसे अपने कार्यकलाणें के निष्णादन के प्र्योजनाई दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उम दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा
- १स१ याद दूसरे सॉवदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अधवा अवधियां संबंधित विलीग वर्ष में आरम्भ होने वालों अधवा समाप्त होने वाली किसी वारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अधवा इससे अधिक हो तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके दरा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है ;
- \$ग\$ यांद दूसरे सोवदाकारी राज्य में उसके कार्यकलाफों हेतु परिश्रमिक उस सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी दूस अदा किया जाता है अधवा यह उस सीवदाकारी राज्य में ास्तत किसी स्वायो संस्थापन अधवा किसी निश्चित स्थान दारा वहन किया जाता है और यह किसी एक विलीय वर्ष में 2000 अमरीकी डालरों की बरावर की राशि से अधक हो ।

2. "व्यायसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया, स्वतंत्र वैज्ञानिक, सांहत्यिक, कलात्मक, शैक्षिक जनना जायनपन संबंधा कार्यकरणां! तथा विपायसंग्री, जन्म-नियाकत्मकां, यर्कालों, इंजीनियरों, वास्तुीयदों, यन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामित हैं । - 20 -

जनुच्छेद - 15

पराक्लम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपवंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी भिआफ्रें वारा फिसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेननों, मजद्रियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। योथ नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

अस्याप । के उपलंधों के फोते कुए भा एक सीधदाकारी राज्य के किसी नियामी दारा दूँसरें संखिदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रथमोहिलसित राज्य में की कर लगाया जा सकेगा, यांद

- ेक । प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ अधवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अर्वाध में कुल मिनाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अर्वाध या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपांस्थत रहता है ; और
- १गई पांरधोमक ऐसे किसी नियोजक द्वरा अधवा उसकी ओर से अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और
- हंगहं पोरप्रोमक किसी ऐसे रक्षया संरथापन अंधया निश्चित रथान द्वरा यहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे सॉबदाकारी राज्य में हो ।

उन्डरग अनुब्रुवेद के पूर्ववर्ती उपत्रंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के नियासी किसी उसम दास अन्तरसम्प्रीय यातायात में संचालित फेत अधवा विमान पर किए सए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रीमक पर केवल उसी सींवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुत्तेद - 16 १:(देशकों की पीग

निदेशकों की पीस तथा इसी तरह की अन्य अदार्घागयों जो किसी सौंबदाकारी राज्य के किसी मनजाती बारा किसी कम्पनी, जो अन्य सॉंबदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की है।सगत से प्रण्त का गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

जनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और सिलाइी

अनुद्धेद 14 और 15 के उपवंधों के होते हुए भी, एक सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी जिस मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलांचज, रेडियो अग्रवा दूर-दर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अधवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे सीवदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयांक्तक कार्यकलायों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । २. जम्म अग्रस मनोरंजनकर्ता अधवा किसी पिलाड़ी दारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए

मननी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अफ्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए मते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपवंध मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में ानण्यांदत कार्यकलायों से प्राप्त आय पर उस रियोत में लागू नहीं होंगे यांद उस राज्य की यात्रा के सिंध सीधदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों द्वारा अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या कीरनाय प्राधकरणों की लोक निधियों द्वारा प्रूलिया उसकी सहायता की जाती हो । ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस सीवदाकारी राज्य में ही करायेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है । - 23 -अनुरुष्ठेद - 18 पॅश्वन

अनुर्रहोद 19 के पेराग्राफ 2 के उपरंधों के अध्यधान, एक सींधदाकारी राज्य के किसी नियासी
भाइला सेधाओं के लिए प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य इसी प्रकार के परिश्रमिक
पर केवल उस राज्य में कर लगेगा ।
पेराग्राफ 1 के उपत्रंधों के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक स्कीम जो किसी संविदाकारी राज्य
अराग्राफ 1 के उपत्रंधों के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक स्कीम जो किसी संविदाकारी राज्य
अराग्राफ 1 के उपत्रंधों के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक स्कीम जो किसी संविदाकारी राज्य
अराग्राफ 1 के उपत्रंधों के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक स्कीम जो किसी संविदाकारी राज्य
अराग्रा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अधवा उसके किसी स्थानीय प्रधिकरण की सामाजिक सुरक्षा
प्रधाना वग भाग है, के अंतर्गत अदा का गई पेंशन डोर किए गए अन्य मुगतानों पर केवल उसी राज्य में
कर लगेगा ।

- 24 -जनुरछेद - 19 सरकारी सेवा

हेकहें किसी संविदाकारा राज्य अववा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय आधकरण दारा उस संवदाकारा राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्रोधकरण के संबंध में की गई सेवाओं के हिए किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन से भिन्न परिश्रीमक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा ।

इस तथापि, ऐसे पारिशीमक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं. उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और व्यप्टि उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी हो, जो :-

हैं। है उस राज्य का एक र्राष्ट्रक हो ; अयवा

हो। है। मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो । २० हे कहे किसी सींबदाकारी राज्य अधवा उसके किसी राजनैतिक उप-क्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राध्यकरण दारा सृजित निधियों दारा अथवा उसमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमाग अनेक किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी ब्यहिट को अदा की गई पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ।

हेखड़े तथापि, रेसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्योष्ट उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुद्येव 15, 16 और 18 के उपवंध किसी सांबदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रमास अथवा किसी स्थानीय प्राधकरण दारा किए जा रहे किसी कारवार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त परिश्रीमक तथा पेशनों पर लागू होंगे । - 25 -अनुरछेद - 20 विगार्थी ओर प्रोधसु

1. 14 भिगार्थी अववा व्यावसायक प्रांशसु जो के एक सींधदाफांश राज्य का दीत करने से तत्काल पूर्व फिसी सींघदाकारी राज्य का निवासी है अववा था और जो उस दूसरे राज्य में मात्र अपनी शिक्षा अववा प्रांशक्षण के लिए मौजूद रहता है, उसे उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट दी जाएयी :

हंकहे उस दूसरे राज्य से वाहर रहने वाले व्यांक्तयों द्वरा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अधवा प्राशक्षण के लिए की गई अदायांगयां ; अधवा

३ स इसरे राज्य में राजगार से प्राप्त पांरजीमक जो किसी कित्तीय वर्ष के दौरान 500 अमरीकी डालर अयवा उसके समतुत्य रक्षम से आंधक न हो ;

वशर्ते कि रेसा रोजगार उसकी शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संजीधन को अयया उसके भरण-पेषण के उद्देश्य केंग्र भग्ध भया के 1

2. इस अनुत्क्रेद के लाग केवल उस समयावाध तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अववा प्रधानुसार अपक्षित हो, किन्तु किसी भी स्थिति में कोई व्याप्ट इस अनुत्क्रेद का लाग उस दूसरे सोवदाकांग राज्य में उसके प्रधम आगमन की तारीख से लेकर लगातार पांच वर्षों से आवक की अर्वाध के लिए नहीं उठा सकेगा । अनुच्छेद - 21 प्रेफेसर, अव्याफ्क और शोधकर्ता

मेई प्रेपेसर अधवा अध्यापक जो दूसरे सौंबदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक सोयवाकांश राज्य का निवासी है अधवा निवासी धा और जो शिक्षण अधवा शोध कार्य करने अथवा दोनों की प्रयोजनों हेतु उस दूसरे संवदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, मर्काविद्यालय, स्कूल अथवा किसी अन्य अनुमोदित संस्थान में ऐसे अध्यापन अधवा शोध कार्य हेतु जाता है, तो उसे उस संवदाकारा राज्य में उसके पहुंचने को तारीख से उस अर्वध तक किसी परिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं हो ।

2. यह अनुन्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यांद ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी विशिष्ट व्यावत अधवा व्यावतर्यों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो ।

उ. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए किसी व्याध्ट को एक संविदाकारी राज्य का नियारी माना जाएगा यदि जिस जिल्ल वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, उस वर्ष में, आधवा उस वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, वह पूर्वोक्त संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो । प्रे पराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान" का अर्थ उस संस्थान से है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वरा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो ।

- 26 -

- 27 -अनुच्छेद - 22 अन्य आय

अन् सोधदाकांश रान्य के किसी ानयासी की आय की ऐसी मर्दे, जहां-कहीं वे उद्भुत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोन्त अनुद्धेटों में विचार नहीं किया गया है, केक्ल उस राज्य में करावेय होंगी।

2. पैसग्राफ । के उपवंध, अनुच्छेद 6 के पैसग्राफ 2 में यया-परिमाधित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिल्न आय पर लागू नहीं होंगे यांद पेसी आय का प्राप्तकर्ता एक सींधदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सींबदाकारी राज्य में वहां ास्थत किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोवार करता हे अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित करसा ानाध्यत स्थान से स्वनंत्र वैद्यांक्तक सेवाएं निष्पादित करता है तथा पेसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभाश रूप से संवद है । ऐसे मामले में, यथा-स्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुकोद 14 के उपवंग लागू होंगे ।

भराग्राफ 1 के उपवंधों के होते हुए भा, यांद किसी सींवदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संगयनगरी राज्य के मीतर रिधत ग्रोतों से घुइदोईों, काईरोमों और किसी भी प्रकार के अन्य सेल अधवा मुख्याना अथवा किसी भी प्रकार या स्वरूप की धर्त लगाने संहित लाटीरयों, वर्ग-पहेलियों, दोईों के रूप में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद - 23

- 2a -

दोहरे करायान का अणकरण

1. जोनों सोधवाकारी राज्यों में से किसा भी एक राज्य में प्रकृत कानून संबंधित राज्यों में आय के उद्योगन के मामलों में लागू रहेंगे सिवाए ऐसे मामलों को छोड़कर जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत कोई उपयंग नहीं किया गया हो ।

ः - यारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

अहां भारत का कोई निवासी रेक्षी आय प्रप्त करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, जॉर्डन में कर लगेगा. वहां भारत, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अधवा स्रोत पर कटोती के दारा उस निवासी की आय पर जॉर्डन में अदा की गई आयकर की रकम के बराबर आय पर कर से कटोती की अनुमोन देगा तथांग ऐसी कटोती की रकम कटोती दिए जाने से पूर्व यथा-संगणित आयकर के उस भाग से आंधक नहीं होगी जोक रेसी आय के कारण हो जिस पर जॉर्डन में कर लगाया जा सकता है । अर्ज जॉर्डन के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :

जहां जार्डन का कोई निवासी ऐसी आय प्रपत करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार मास्त में कर लगेगा, यहां जार्डन उस निवासी की आय पर भारत में अदा की गई आयकर की रहेते के अरावर सोश पर कर से कटौती की अनुमात देगा । तथापि, ऐसी कटौती की रकम, कटौती कि: जाने से पूर्व संगणित आयकर के आयक नहीं होगा, जो उस आय के कारण से हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सके ।

4. इस अनुच्छेद के पैस 2 और 3 में उर्ज़्लासत सॉवदाकारी राज्य में देय कर में वह कर भी शाभिल समझा जाएगा जो देय होता परन्तु सॉवदाकारी राज्य के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रेत्साहनों के कारण देय नहीं है और जिनका उद्देश्य आर्थिक क्लिस को बढ़ावा देना है ।

ेन्ट देखा आय जिस पर इस अभिसमय के उपवंधों के अनुसार किसी सींबदाकारी राज्य में कर नहीं अभाया जाता है तो उसे उस सींबदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की गणना करने के लिए अर्थमल फिया जा सकता है । - 29 -

अनुत्त्वेद - 24 सम-व्यवहार

1. एक संायदावारी राज्य के साम्ट्रकों पर दूसरे सींयदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अधवा तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया आपगा, जो उस दूसरे राज्य में यैमी ही पौर्सस्थानयों में, विक्रेष रूप से नियास के संबंध में, लगाप जाने व्यले अधवा लगाए जा सकने व्यले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हों। यह उपवंध अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए

अगसाजा स मानन पर जनगए। साम होंगे जो एक अवया दोनों संथिदाकारी राज्यों के नियायी नहीं हैं । भो उन ज्योक्तयों पर भो लागू होंगे जो एक अवया दोनों संथिदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर उस एक संथिदाकारी राज्य के किस उग्रम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में, रेसा कराधान लागू नहीं किया जापगा जो उस दूसरे राज्य के उग्रमों पर समस्प वार्यकराय से करने के लिए लागू होने वाले कराणान से अपेक्षाकृत कम अनुकृत हो । इस उपवंध का आर्य किसी संथिदाकारी राज्य के लिए यह हकावट डालना नहीं है वह दूसरे संविदाकारी राज्य के शिंग व्यक्तिगत फ़िंट, राहतें के रिप यह हकावट डालना नहीं है वह दूसरे संविदाकारी राज्य के नियक्तिगत फ़्रीं, राहतें और कटीनियां प्रदान न करे जो वह अपने निर्वासयों को प्रदान करता है । स्था व्यक्तिगत फ़्रीं, राहतें और कटीनियां प्रदान न करे जो वह अपने निर्वासयों को प्रदान करता है । अभी सोधवाकारी राज्य के रित्रे उत्तम जिनकी प्रंकी प्रगतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य वे उक्त अथवा एक से अधिक निजासयों के प्रत्यक्ष अधवा परेक्ष स्थामत्य अथवा नियंत्रण में होगी उन पर वे उक्त अथवा एक से अधिक निजासयों के प्रत्यक्ष अथवा परेक्ष स्थामत्य अथवा नियंत्रण में होगी उन पर अभ्योत्वित्तान ग्रिय में ऐसा कराधान अयवा तत्संवंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संवंधी अपेक्षाओं से मिल्ल अथवा आधक भारपूर्ण हो, जो प्रयमोत्तिस्त राज्य के अन्य समस्प

उगमों पर लगाई जाती है अथवा लगाइ जा सकता ह । 4. ऐसो मामलों को छोड़कर जहां अनुरुष्ठेद 9, अनुरुष्ठेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुरुष्ठेद 12 के पिराग्राफ 6 के उपर्वध लाग होते हैं अन्य मामलों में एक सींवदाकारी राज्य के किसी उग्रम दार दूसरे रिराग्राफ 6 के उपर्वध लाग होते हैं अन्य मामलों में एक सींवदाकारी राज्य के किसी उग्रम दार दूसरे राधदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज, सर्याहट्यों और अन्य सींक्तरण पर, राधदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज, सर्याहट्यों और अन्य सींक्तरण पर, राध उसमों के कसप्रेय लामों का मन्धरिण करने हेत् उन्ही शर्तों के अधीन कटोती की अनुमान दी जाएगी जेसे कि ये प्रश्मोहिलांगत राज्य के निवासी को अदा किए गए थे । ... अनुराग्रेद 2 के उपर्वधों के कोते हुए भा, इस अनुरोप्रेद के उपर्वध रेसो प्रत्येक फिरम और वियाण के करों पर लाग होंगे जो इस ऑमसमय के विषय हैं । अनुच्छेद - 25 पारस्परिक करार विधि

नहां कोई व्योक्त यह समझता है कि दोनों सीवदाकारी राज्यों में से किसी एक अधवा दोनों सत्यों की कार्रवार्थों के कारण उस पर कोई ऐस्म कर लगाया जाता है अधवा लगाया जाएगा जो इस संवयप्राय के उपवंगों के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के देशीय कानुनों दारा उपवंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस सींवदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक नियासी है, अयवा यदि उसका मामला अनुरुष्ठेद 24 के प्रेराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस सींवदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक नियासी है, अयवा यदि उसका मामला अनुरुष्ठेद 24 के प्रेराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस सींवदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्रवाई को प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चोहए जिसके फारणामस्वरूप उस पर ऐसा कर लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपरंधों के अनुरूप नहां है ।

उ. इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई अधवा शंका उत्पन्न होने पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधकारी उन्हें पारर्पारक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं गिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।

"4• पूर्ववर्ती पेराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौने पर पहुंचने के प्रयोजनार्ध संविदाकारी राज्यों के राजम प्राणकांश अन्न विसरे के साथ सांधे राग्पर्क कर सकते हैं । यांद फ़िसी समझौते पर पहुंचने के उद्देदेश्य से मौगिक विचारों का आदान-प्रदान करना उफ्युक्त प्रतीत हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधकारियों के प्रांतनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

- 30 -

- 31 -अनुरहेद - 26 सूचमा का आन्दान-प्रदान

1. संघदकार सन्यों के सराम प्रोधकार ऐसी सुचना इदातायेनों सीहत का आदान-प्रदान करेंगे तो इस अभियमय के उपवंधों की अधवा सींयदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानुनों के उपकी को प्रायमिक्त करने के लिए आयश्यक है, जो इस अंभसमय के जंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उपके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की पोसापड़ी अधवा अपर्वचन को रोकने के लिए उपके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की पोसापड़ी अधवा अपर्वचन को रोकने के लिए उपके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की पोसापड़ी अधवा अपर्वचन को रोकने के लिए उपके अधीन कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की पोसापड़ी अधवा अपर्वचन को रोकने के लिए उपका सीवताकारी राज्य वस प्रान्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस संघयतकार्य राज्य के स्वदेशो कानुनों के अंतर्गत प्रप्त की गई सुचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यास्तयों अधवा प्रांधकारियों इंडिसमें नाग्यालन और माग्याम्य विकास भी सामिल हैई को प्रकट किया जाएगा जो इस अंधभसमय के अंतर्गत आने वाले करों का निर्धारण अयबा उनकी वसूली करने, उनके प्रार्थना अधयक्ष प्राय्तन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपेलों का निर्धारण करने से संबद हों । ऐसे व्यक्त अध-क प्रांधकार्थ सुचना का उपयोग देवन ऐसे प्रयोगनों के लिए ही करेंसे । ये उक्त सुचना को मार्थजानक व्यवसाय की कार्यवाहयों में अथवा न्यांधक निर्णयों में प्रकट कर सर्केंगे । 2. किसी भी रियान में, पेरागाफ 1 के उपयंगों का अर्थ किसी संवयकारी राज्य पर निम्नालाय दायत्व डालना नहीं होगा :

१क) उस अवज दूसरे संविदाकारी राज्य के कानुनों अधवा प्रशासनिक प्रथा से इटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

१ प्रभे ऐसी सूचना अधवा दस्तावेजों को सप्लाई करना जो उस अधवा दूसरे संविदाकारी ' गज्य के कानूनों के अंतर्गत अखवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ; १ ग ३ रेक्षा सूचना को सप्लाई करना अग्रमसे कोई व्यापारिक, व्यायसायिक, और्गोगिक, वाणिज्यिक अधवा बृत्तिक संबंधी गुप्त भेद अग्रवा व्यापारिक प्रक्रिया अधवा सूचना प्रकट होती हो 19 से प्रसन्द करना सार्थजानक नेभन के प्रांतकृत हो ।

अनुच्छेद - 27

वसूली संहायता

1. उन करों की वसूलों में सोवदाकांध सज्य एक दूसरे की सप्तायता देने का वचन देते हैं जो इस अभसमय में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुन्छेद में उत्तिलिंगत ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत तथा ार्मायल शारितयों से संबंधित हैं ।

2. राजस्व दावे की वसूली में सावदाकारी राज्य के सक्षम प्रधिकारी दारा सहायता के लिए अनुरोध में रेखे प्रांधकारा दारा दिया गया इस आत का प्रमाण पत्र भी शामिल होगा के उस राज्य के कानून के अधोन दावा किया गया राजस्व अंतिग रूप से निधीरित कर लिया गया है । इस अनुराहेद के प्रयोजनार्थ दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से तब निधीरित कर लिया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को उसके आन्तरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूलो करने का अधिकार हो और करदाता को ऐसी यर यस्ती रोकने का कोई अधिवार नहीं हो ।

उ. इस अनुर्द्धेद के अनुसरण में सीवदाकारी राज्यों में सक्षम प्राधिकारी दारा वसूल की गई राशि दूसरे सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी । तथापि, प्रथमोहिलीखत सोवदाकारी राज्य दोनों दे सक्षम प्राधकारियों के बीच परस्पर सहमति की सीमा तक रेसी सहायता प्रदान बनने के दोसन उपगत लागन, यांद कोई हो, की प्रतिपूर्ति हेनु हकदार होगा ।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दोनों में से, किसी भी संविदाकारी राज्य पर उन प्रशासनक उमायों से भिन्न स्वरूप के प्रशासनिक उपाय की बाच्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा जो कि उसके स्वयं के करों की बसूली में प्रयुक्त किए जाते हैं अधवा जो उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल क

نلح

अनुत्केद - 28

राजनोयक प्र्वेट और कॅसुला अध्यक्तव

ुरा अभरसमय का फ़रसा था वात से अन्तरराष्ट्रीय फानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अगव विशेष करारों के उपवंधों के अंतर्गत राजनांधक एजेंटों अग्रवा कोंसुली अधिकारियों के विल्लीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पहुंगा ।

.

.

.

अनुच्छेद - 29 प्रयुत्त होना

 सीवदाकारी राज्य इस अभिसमय को लाग करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षत प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिसित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे
यह अभिसमय इस अनुद्धेद के परागाफ 1 में उर्फ्लासन अधिसूचनाओं में से बाद में प्रप्त की गई अधिसूचना के 30 दिन बाद से लागू होगा ।

3. इस अभिसमय के उपवंध निम्नलिसित रूप से प्रमावी होंगे :

÷

- १क१ भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद वाले अगले अफ्रेन महाने के पहले दिन को अधवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में ; और
- ३ स३ जॉर्डन में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है उसके बाद आगामी कैलेण्डर वर्ष के जनवरी महीने के पहले दिन को अधवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी किसी किसीय वर्ष में उद्भुत होने वाली आय के संबंध में ।

- ३५ -अनुस्केद - ३० समाफ्न

यह अभियमय अनिश्चित रामय तक लागु रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य दरा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारास से पांच वर्ष की अवीध समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अवध को समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनॉयक माण्यारों से समापन की सूचना देकर इस अभसमय को समाप्त कर सकता हे । ऐसी पारार्स्यात में यह अभिसमय निम्नालीस्ति के संबंध में ानग्रामां हो जाएगा :

- १कई भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ध में समापन की सूचना दी जाती है उसके बाद आगामी ओग्रल महीने के पहले दिन को अग्रवा उसके बाद किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने बाली आय के संबंध में;
- १ राहे जॉर्डन में, जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके बाद आगामो कैलेण्डर वर्ध के जनवरा महीने के पहले दिन को अधवा उसके बाद किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाला आय के संबंध में ।

गिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिक्त रूप से प्राधकृत अधोइस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हिस्ताक्षर क्रिए हैं ।

में वर्ध एक इजार नो सो जिन्नानले ले माह के ोदन हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्फन किया गया तथा इसके तीनों पठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पठ को प्रभावी माना जाएगा ।

जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार की ओर से

am .

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

- 36 -

प्रेतोकोल

आग पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के पंरतार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जॉर्डन की हेशमिट किंगडम की सरकार के बीच आज निष्फन्न अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय निग्नॉलीयन हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर सहमत हुए हैं कि निग्नलिखित प्रवधान उक्त अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे :

अनुच्छेद 9 - संबद उद्यम 1 · अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के संबंध में यह समझा जाता है कि उक्त उपवंध धोखाधड़ी अयवा जानवृशकर की गई चुक के मामले में लागू नहीं होंगे ।

अनुरछेद 17 - कलाकार और सिलाड़ी 2. अनुराण्द 17 के पैसाग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि उक्त उपवंध संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच निष्फून सांस्कृतिक करारों के तहन दूसरे सीवदाकारी राज्य में निष्णादत नगर्गवनार्ध से निग्ती कलाकार बरा उद्भुत आय के संबंध में लागु होंगे ।

अनुच्छेद 24 - सम-व्यवहार 3. अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता है कि इस उपवंध का यह क्षयं नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे सॉबदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोहिलीवत राज्य में स्थित नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे सॉबदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रथमोहिलीवत राज्य में स्थित किसा स्थायी संस्थापन के लामों पर कर का प्रेसी दर पर प्रभाग लगाने से किसी सींधदाकारी राज्य को थेवना है जो उस दर से आध्यक हो जो रूम्पनी प्रथमोहिलीवत सॉंधदाकारी राज्य के समरूप कम्पनी के लोमों पर लगाया जाता है ।

.

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्रधिकृत अधोहस्तार्क्षारयों ने इस अभिसमय पर

में वर्ष एक इजार नो सी निन्नानवे के माह के विन फ़िन्दी, अरवी और अंग्रेजी भाषाओं में निष्फ़न किया गया तथा इसके तीनों पठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । पन्हों में भिन्नना की रिक्षेस में, अंग्रेनी पट पने प्रभाव माना जारणा ।

जॉर्डन की हेशोमट किंगडम की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य का सरकार की ओर से

{र विज्ञानत्}

हे िशाम मुहितेन :ह

अधिमूचना मं० एवं तारीख:- 111C1 - 8.12.29 फा० सं० 501/4/89-वि0क0प्रo फाo संo 501/4/89-वि0क**0प्र**0 ीविजन गायुर

संयुक्त राजित